रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 16, 2005/माघ 27, 1926

No. 62] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 16, 2005/MAGHA 27, 1926

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2005

सा.का.नि. 75(अ)— केंद्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 166 की उपधारा(2) और उपधारा(3) के साथ पठित धारा 176 की उपधारा(l) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (l) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनियामक मंच नियम, 2005 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(i)' मंच' से नियम 3 के अधीन गठित' विनियामक मंच' अभिप्रेत है,

(ii) अधिनियम से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है,

(iii) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित है, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं ।

3. **मंच का गठन** (l) मंच में केंद्रीय आयोग का अध्यक्ष और राज्य आयोगों के अध्यक्ष होंगे ।' केंद्रीय आयोग का अध्यक्ष विनियामक मंच का अध्यक्ष होगा ।

(2) केंद्रीय आयोग का सचिव मंच का पदेन सचिव होगा ।

(3) मंच को अनुसचिवीय सहायता केंद्रीय आयोग द्वारा प्रदान की जाएगी ।

(4) मंच का मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित होगा ।

4. मंच के कृत्य- मंच निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा अर्थात्-

(i) केंद्रीय आयोग और राज्य आयोगों के टैरिफ आदेशों और अन्य आदेशों का विश्लेषण और उक्त आदेशों से उदभूत होने वाले डाटा का संलग्न करना, विशेषकर उपयोगिताओं की दक्षता में सुधारों को प्रकाश में लाना;

(ii) विद्युत सेक्टर में विनियमन को सामंजस्ययुक्त बनाना;

(iii) अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यों के मानकों को अभिकथित करना;

(iv) सामान्य हित के विभिन्न मुद्दों पर मंच के सदस्यों के बीच सूचना और समान अभिगमन में हिस्सेदारी;

(v) विद्युत सेक्टर के विनियमन से सुसंगत मुद्दों पर आंतरिक या बाह्य स्रोतों के माध्यम से अनुसंधान कार्य करना;

(vi) उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण के उपाय ढूंढना और विद्युत सेक्टर की दक्षता, मितव्ययता और प्रतियोगिता का संवर्धन;

(vii) ऐसे अन्य कृत्य को केंद्रीय सरकार द्वारा उन्हें समय-समय पर समानुदेशित किया जाए;

5. **मंच के वित्त-** (1) केंद्रीय आयोग मंच के क्रियाकलापों को किए जाने के लिए राज्य आयोगों से आवश्यक वित्तीय योगदान ले सकेगा ।

(2) केंद्रीय आयोग मंच के क्रियाकलापों के लिए पृथक लेखा रखेगा ।

6. **मंच की बैठकें-**

(1) मंच वर्ष में कम से कम दो बार बैठकें करेगा ।
(2) मंच बैठक के संचालन के लिए अपने स्वयं के कारोबार नियम विरचित करेगा ।

7. **वार्षिक रिपोर्ट-** विनियामक मंच प्रत्येक वर्ष, पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का सारांश देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट की प्रतियां केंद्रीय आयोग को अग्रेषित की जायेंगी ।

[फा. सं. 23/35/2003-आर एण्ड आर]

अजय शंकर, अपर सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2005

G.S.R. 75(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 176 read with sub-sections (2) and (3) of section 166 of the Electricity Act, 2003 (No.36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement**. – (1) These rules may be called the Forum of Regulators Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**. - In these rules, unless the context otherwise requires,-

(1) "Forum" means 'Forum of regulators' as constituted under rule 3;
(2) "Act" means the 'Electricity Act, 2003 (No.36 of 2003).
(3) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the said Act.

3. **Constitution of the Forum.**- (1) The Forum shall consist of the Chairperson of the Central Commission and Chairpersons of the State Commissions. The Chairperson of the Central Commission shall be the Chairperson of the Forum of Regulators.

(2) The Secretary to the Central Commission shall be the *ex-officio* Secretary to the Forum.

(3) Secretarial assistance to the Forum shall be provided by the Central Commission.

(4) The headquarter of the Forum will be located at New Delhi.

4. **Functions of the Forum.**- The Forum shall discharge the following functions, namely:-

(i) analysis of the tariff orders and other orders of Central Commission and State Commissions and compilation of data arising out of the said orders, highlighting, especially the efficiency improvements of the utilities;
(ii) harmonization of regulation in power sector;
(iii) laying of standards of performance of licensees as required under the Act.
(iv) sharing of information among the members of the Forum on various issues of common interest and also of common approach.
(v) undertaking research work in-house or through outsourcing on issues relevant to power sector regulation;
(vi) evolving measures for protection of interest of consumers and promotion of efficiency, economy and competition in power sector; and
(vii) such other functions as the Central Government may assign to it, from time to time.

5. **Finances of the Forum**.- (1) The Central Commission may take necessary financial contributions from the State Commissions for carrying out the activities of the Forum.
(2) The Central Commission will keep separate accounts for the activities of the Forum.

6. **Meetings of the Forum**.- (1) The Forum shall meet at least twice in a year.
(2) The Forum will frame its own rules of business for the conduct of its meetings.

7 **Annual Report** .- The Forum of Regulators shall prepare every year, an annual report, giving a summary of its activities during the previous financial year and copies of the report shall be forwarded to the Central Government.

[F. No. 23/35/2003-R&R]
AJAY SHANKAR, Addl. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.